रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229647 CG-DL-E-15092021-229647

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3480]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943
No. 3480]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 3792(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2693 (अ) तारीख 5 सितम्बर, 2013 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1 में, क्रम संख्या 23 और 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :—

"23	संसद टीवी-एसडी	समाचार और समसामयिकी;
24	संसद टीवी-एचडी	समाचार और समसामयिकी";

[फा. सं. 15/1/2021-बीपीएंडएल]

संजीव शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2693(अ) तारीख 5 सितम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित की गई:-

- 1. का.आ. 1388(अ), तारीख 25 मई, 2015;
- 2. का.आ. 1699(अ), तारीख 7 मई, 2019; और
- 3. का.आ. 4136(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2019।

5201 GI/2021 (1)

# MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2021

**S.O.** 3792(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, number S.O. 2693(E), dated the 5<sup>th</sup> September, 2013, namely:—

In the said notification, in Table-I, for serial numbers 23 and 24 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"23	Sansad TV - SD	News and Current Affairs;
24	Sansad TV - HD	News and Current Affairs";

[F. No. 15/1/2021-BP&L]

SANJIV SHANKAR, Jt. Secy.

**Footnote:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2693(E), dated the 5th September, 2013 and was subsequently amended *vide* numbers:-

- 1. S.O. 1388(E), dated the 25<sup>th</sup> May, 2015;
- 2. S.O. 1699(E) dated the 7<sup>th</sup> May, 2019; and
- 3. S.O. 4136 (E) dated the 15<sup>th</sup> November, 2019.